

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-३/निदे०(आ०वि०)११०-०१/२०१९-१६६

प्रेषक,

संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-३०/०९/२०२६

विषय-स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर १०+२ अनु० जाति बालक आवासीय विद्यालय, सुगाँव, प्रखंड-सुगौली, पूर्वी चम्पारण में अवस्थित सावित्रीबाई फुले छात्रावास भवन के जीर्णोद्धार कार्य हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) का पत्रांक-९८२ दिनांक-०३.०९.२०२५ द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल-
₹३८,९३,०००/- (अड़तीस लाख तिरान्चे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :-स्वीकृत ।

२- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-०३ मुख्य बजट शीर्ष-२०५९-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-६०-अन्य भवन-लघु शीर्ष ०५३-रखरखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-००१४-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवन का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु विषय शीर्ष-२७०२-अनुरक्षण एवं मरम्मत विपत्र कोड-०३-२०५९६००५३००१४ के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

३- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-२५६१ दिनांक १७-४-१९९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

४- स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

५- इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

६- मरम्मत कार्य भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड, अनुज्ञेय सीमा एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा। साथ ही कार्य के प्रत्येक चरण पर विभिन्न कोणों से फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।

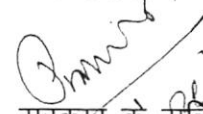
७- इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

८- इस प्रस्ताव पर सं०सं०-३/निदे०(आ०वि०)११०-०१/२०१९ के पृ०-१०/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

९- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

१०- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-3/निदे0(आ0वि0)110-01/2019 166

पटना, दिनांक- 30/09/2026

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4)आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/निदेशक, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/उप निदेशक कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

विवरणी

क्रमांक	कार्य का नाम	तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि
1	डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनु० जाति बालक आवासीय विद्यालय, सुगाँव, प्रखंड-सुगौली, पूर्वी चम्पारण में अवस्थित सावित्रीबाई फुले छात्रावास भवन के जीर्णोद्धार कार्य	₹38,93,000
	Total	₹38,93,000

(अड़तीस लाख तिरान्चे हजार रु०)

सरकार के सचिव।